

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं०. 69/2017-केंद्रीय कर

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर, 2017

सा.का.नि. (अ)-आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं० 1417(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 61/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को, भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना देने वाले और डाटा बेस पहुंच या सुधार सेवाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्टूबर, 2017, नवंबर, 2017 और दिसंबर, 2017 मास के लिए प्ररूप जी.एस.टी.आर. 5क विवरणी देने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार